न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास एम.आर.बागड़िया आर.ए.एस

प्रकरण सं. 30/12/आवेदन अं.आदेश 251ए आरटीए

1. खेमाराम पुत्र श्री भोमाराम उम्र 60 साल
2. सुखाराम पुत्र श्री हणमान उम्र 62 साल
3. बीरबल पुत्र श्री प्रभुराम उम्र 25 साल
4. चुनीलाल पुत्र श्री अमराराम उम्र 48 साल
5. बंशीधर पुत्र श्री बोदुराम उम्र 38 साल
6. रूकमा देवी पत्नी श्री मालीराम उम्र 58 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीगण

ब ना म

(समस्त जाति जाट — for items 1–10)

1. पतासी देवी पत्नी श्री प्रभुराम
2. फूलचंद पुत्र श्री प्रभुराम
3. बिमला पत्नी श्री भैरूराम
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री भैरूराम
5. राजेन्द्र पुत्र श्री भैरूराम
6. गोविन्दराम | पुत्रगण श्री बोदुराम
7. गोपालराम |
8. मूलाराम |
9. रिछपाल |
10. गुलाबी देवी पत्नी बोदुराम
11. गोविन्दराम पुत्र नानूराम कुमावत

(समस्त जाति जाट — for items 12–25)

12. भागीरथ | पुत्रगण लादुराम
13. नारायण |
14. लच्छी देवी पत्नी स्व. मूलचन्द
15. महेन्द्र | पुत्रगण श्री मूलचन्द
16. मदनलाल |
17. पेफादेवी पत्नी पेमाराम
18. झाबरमल | पुत्रगण श्री पेमाराम
19. सुरेश |
20. लक्ष्मण |
21. हरदेवा |
22. रामचन्द्र पुत्र हणमान
23. खुशलाराम | पुत्रगण श्री रूघनाथ
24. चुन्नीलाल |
25. गोविन्दराम | पुत्रगण श्री रामदेव
26. गिरधारी |

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

27. जीवणी पत्नी श्री रामदेव
28. छीतर पुत्र अमरा
29. सागरमल पुत्र सुरजाराम
30. गुलाबीदेवी पत्नी श्री बोदुराम जाट
31. धन्ना | पुत्रगण भगवानाराम
32. महावीर |
33. झाबर |
34. श्यामा पुत्र श्री काना
35. झूझाराम पुत्र श्री कालू
36. अर्जुन पुत्र कालू
37. जीवणी पत्नी श्री कालूराम
38. किसनाराम पुत्र श्री अमराराम
39. रूड़ा पुत्र श्री लालू
40. शिशपाल पुत्र श्री काना
41. सोनी पत्नी श्री काना
42. देवाराम | पुत्रगण पेमाराम
43. दीपाराम |
44. गोपी |
45. गणेशराम | पुत्रगण झूंथाराम
46. रामदेव |
47. जगदीश |
48. सुरजा |
49. चावली पत्नी श्री कालूराम
50. सीताराम | पुत्रगण श्री राधाकिशन कुमावत
51. सांवरमल |
52. शकुन्तला बुरानिया पत्नी श्री रामचन्द्र जाट

निवासीगण चैनपुरा निवासीगण अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री रेखराज पारीक वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री सागर मल धायल वकील अप्रार्थी सं. 17 ता 21 की ओर से
3. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 16 व 22 से 52 की ओर से

दिनांक— 31.01.2014

निर्णय

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 621 एवं श्मशान घाट हेतु ख.नं. 622 में आने जाने हेतु वाके ग्राम चैनपुरा तहसील दांतारामगढ में प्रार्थी को खेत एवं आवासीय मकानात में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 619 रकबा 0.97 है0 एवं ख.नं. 623 रकबा 2.65 है0 किता 2 कुल रकबा 3.62 है0 में से मेड़ के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा व 126 मीटर लम्बा क्षेत्रफल 504 वर्गमीटर रास्ता चाहा

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

है। चाहे गये रास्ता का अंकन संलग्न नक्शा पटवारी में दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत एवं मकानात में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यक है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से संपूर्णतया वंचित हो जायेगा।

2. आवेदन पेश होने दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं नायब तहसीलदार, दांतारामगढ से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी सं. 17, 20, 21 की ओर से वकील श्री सागर मल धायल एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 16 व 22 से 52 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम ने वकालत नामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 16 एवं 22 से 52 की ओर से बिन्दुवार जवाब पेश कर इकबालिया जवाब में निवेदन किया कि हम उक्त संपूर्ण अप्रार्थीगण अपनी ओर से स्वेच्छापूर्वक सहमति प्रकट करते है कि हम हमारी संयुक्त खातेदारी की आवेदन वर्णित कृषि भूमियों में से वांछित रास्ता कटान करने पर उसके बदले कोई कीमत राशि प्राप्त नहीं करना चाहते है ना ही भूमि के बदले भूमि प्राप्त करने की इच्छा रखते है। जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदन वर्णित रास्ते को कटान में दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थी सं. 17 ता 21 ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मौके पर ख.नं. 623 रकबा 2.65 है. तन ग्राम चैनपुरा तहसील दांतारामगढ पर अप्रार्थीगण सं. 17, 18, 19, 20, 21 का 3/4 हि. उतरी साईड बाहमी बंटवारे में आया है व शेष 1/4 हि0 दक्षिणी साईड का प्रार्थीया सं. 6 रूकमादेवी पत्नी श्री मालीराम का है व ख.नं. 623 में से जो पश्चिमी दक्षिणी साईड में 70 मीटर लम्बाई में व 5 मीटर चौड़ाई में रकबा 0.0350 है0 भूमि प्रार्थी सं. 6 रूकमादेवी के हक हिस्से में से दी है व उसी का रकबा कम किया जाने योग्य है। इस आशय का 10/– स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न किया है। प्रार्थीया रूकमादेवी ने 10/– स्टाम्प पर नॉटरी पब्लिक से तस्दीक शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चैनपुरा में ख.नं. 623 में रकबा 2.65 है0 में प्रार्थीया का हिस्सा 1/144 + 1/80 + 1/120 हि. है। मैं ख.नं. 623 में 0.0350 है0 भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु उपयोग के लिए देना चाहती हूं उक्त नाप भूमि राजस्व रिकार्ड में मेरे हिस्से में से कम कर दी जाती है तो मेरे को किसी प्रकार की आपति या एतराज नहीं है और नक्शे में तरमीम कर दी जावें। इस भूमि के बदले में किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं करूंगी। नायब तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा मौके एवं अभिलेख अनुसार रिपोर्ट भिजवायी गई जो शामिल मिसल है।

3. बहस उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक प्रस्तावित खातेदारों की भूमियों के अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है साथ ही श्मशान घाट हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसके लिए अप्रार्थीगण की आवेदित भूमियों मे से रास्ता उपलब्ध कराने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 16 व 22 से 52 ने बहस के दौरान इकबालिया जवाब को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण की भूमियों में से रास्ता दिया जाता है तो कोई आपति नहीं है तथा उक्त भूमि के बदले प्रतिफल नहीं चाहते है। इसके साथ ही वकील अप्रार्थी सं. 17 ता 21 ने बहस के दौरान कथन किया कि बाहमी बंटवारे में आवेदित ख.नं. 623 की भूमि प्रार्थी सं. 6 रूकमादेवी के हिस्से में आयी हुई है तथा प्रार्थीया रूकमादेवी ने इस सम्बन्ध में शपथ पत्र पेश किया है जिसके अनुसार प्रार्थीया के हिस्से में से उक्त रकबा कम किया जाने का निवेदन किया है।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 621 एवं श्मशान घाट की

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

भूमि ख.नं. 622 ग्राम चैनपुरा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर के पत्रांक 74 दिनांक 24.12.13 एवं 2616 दिनांक 17.09.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम चैनपुरा के खसरा नं. 619 में लम्बाई 66 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर तथा खसरा नं. 623 में जिसकी लम्बाई 70 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है। प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 619 में से 0.0330 है0 भूमि और खसरा नं. 623 में से 0.0350 है0 भूमि गै.मु. रास्ते में परिवर्तन की जाना प्रस्तावित है। खसरा नं. 638 रकबा 0.84 है0 की खातेदारी चुन्नीलाल, किशनाराम पि. अमराराम हि. 1/2, नाथूराम, जगदीश, बनवारी पि. सुवाराम हि. 1/8, रामेश्वर पुत्र गोमा हि. 3/16, मदनलाल, हरबक्स, बंशीधर पि. बोदूराम हि. 3/16 जाति जाट सा.देह के नाम से दर्ज है। वादीगण खेमाराम पुत्र भोमाराम, सुखाराम पुत्र हनुमान, बीरबल पुत्र प्रभु, चुनीलाल पुत्र अमरा, बंशीधर पुत्र बोदू, रूकमा देवी पत्नी मालीराम जाति जाट नि. चैनपुरा ने खसरा नं. 619 व 623 में से होकर आम रास्ता चैनपुरा से लाडपुर जाने वाले रास्ते तक रास्ता कटाण करवाना चाहते है। उक्त आवेदकर्ता ख.नं. 623, 619 में से रास्ता कटाण करवाना चाहते है जो मौके पर पर चालू है ग्रेवल सड़क बनी हुई है। उक्त रास्ता कटाण करने से ख.नं. 623 में से 0.0350 है0 भूमि तथा ख.नं. 619 में से 0.0330 है0 भूमि गै.मु. रास्ते में परिवर्तित की जानी प्रस्तावित है। आवेदकगण के खातेदारी भूमि में जाने के लिए अन्य रास्ता नहीं है। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा प्रस्तावित ख.नं. 619 की लम्बाई 66 मीटर व ख.नं. 623 की लम्बाई 70 मीटर एवं चौड़ाई यानि ख.नं. 619 में से 0.0330 है0 भूमि एवं ख.नं. 0.0350 है0 प्रार्थीया रूकमादेवी के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई भूमि में से प्रस्तावित एवं अनुशंसित सार्वजनिक गै.मु.रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। चूंकि आवेदित रास्ते के बदले अप्रार्थीगण द्वारा रकम नहीं लिये जाने तथा बदले में भूमि नहीं लिये जाने का इकबालिया कथन किया है। इसलिए उक्त रकबे के बदले प्रार्थीगण से कोई राशि अप्रार्थीगण को देय नहीं है। अतः नायब तहसीलदार, दांतारामगढ को आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के ख.नं. 619 की लम्बाई 66 मीटर चौड़ाई 5.00 मीटर व ख.नं. 623 की लम्बाई 70 मीटर एवं चौड़ाई 5.00 मीटर यानि ख.नं. 619 में से 0.0330 है0 भूमि एवं ख.नं. 0.0350 है0 (प्रार्थीया रूकमादेवी के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई भूमि) संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार सिवाय चक गैर मु. रास्ता रकबा व लगान कम करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावें। तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 31.01.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर. बागडिया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ